बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

अर्हता तिथि 01.01.2018 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधी अत्यावश्यक सूचना

पटना दिनांक : 01 नवम्बर, 2017

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार बिहार राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता तिथि 01.01.2018 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 से प्रारंभ है। आयोग द्वारा निर्वाचक सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2017 तक विस्तारित की गयी है।

उक्त के आलोक में अर्हता तिथि 01.01.2018 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में दावे एवं आपत्तियां दिनांक 30.11.2017 तक दाखिल किये जा सकते हैं। दिनांक 30.11.2017 तक अर्हता प्राप्त कोई भी नागरिक या प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में अपना नाम अंकित कराने, अपने नाम अथवा अन्य प्रविष्टियों की त्रुटि का निराकरण कराने अथवा निर्वाचक सूची में प्रविष्ट किसी नाम को विलोपित कराने हेतु अपने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष/विनिर्दिष्ट स्थल पर विहित प्ररूप में दावा या आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक या प्रवासी भारतीय http://www.nvsp.in/ (National Voter's Services Portal) के माध्यम से भी अपना आवेदन ऑनलाईन विधि से दाखिल कर सकते हैं।

ह०/–
(विवेका नन्द झा)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय द्वारा जनहित में प्रकाशित

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–04.11.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–8757 दिनांक–03.11.2017 द्वारा निर्गमादेश।

HINDUSTAN, ALL BIHAR
DAINIK JAGRAN, PATNA+BHAG+MUZ
PRABHAT KHABAR, PATNA+BHAG+MUZ
AAJ,PATNA
TOI, PATNA
F T,PATNA